अनु. 44 - समान नागरिक संहिता

Article 44 - Uniform Civil Code

- Goa
- Uttrakhand

(A) (B)

समान सभा

आपराधिक मामलें (Criminal Matters)
- ex. Murder,
- मार-पीट
- चोरी etc.

सिविल मामले (Civil Matters)
- ex. तलाक (Divorce)
- प्रोपर्टी
- विवाह etc.

⇒ Hindu law
→ Muslim law

Art. 45 → 0-6 वर्ष बच्चे (Children) → देखभाल (care)
शिक्षा (education) ⇒ दिलाना

राज्य का कर्तव्य होगा।

अनुच्छेद- 46 - राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजतियों के, शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की, विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

Article 46 - The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them against social injustice and all forms of exploitation.

Art. 46 → weaker section's कमजोर वर्ग ⇒ SC/ST
- शिक्षा (education)
- रोजगार (employment)
- सामाजिक अन्याय
- शोषण exploitation.

अनुच्छेद- 47 - स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगायेगा।

Article 47- Will prohibit the consumption of intoxicating drugs and other substances harmful to health.

Art. 47 -> स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध।

अनुच्छेद- 48 - राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारु और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका बध रोकने के लिए कदम उठायेगा

Article 48 - The State shall strive to make agriculture and animal husbandry modern and scientific and, in particular, shall take steps to preserve and improve the breeds of milch and draught cattle and to prevent their slaughter

Art. 48(A) ⇒ 42 (A) 1976 ⇒ जोड़ा गया।

↳ पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा।

अनु. 49 - के तहत् राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया

Article 49 - Under the Act, the State shall protect every monument, place of artistic or historical interest declared by Parliament to be of national importance.

ex. लाल किला
ताजमहल
शीश महल
इंडिया गेट आदि

अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक

Separate the judiciary from the executive under Article 50

अनुच्छेद 51, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति सम्बन्धी निदेशक तत्व के बारे में है

Article 51 is about international peace and security and the directive principle of India's foreign policy

Art. 51: विदेश नीति
Foreign Policy

▽ कौन-कौन से नीति निदेशक तत्व 42 वें संविधान संशोधन द्वारा भाग चार में जोड़े गये हैं? Which Directive Principles of State Policy have been added to Part IV by the 42nd Constitutional Amendment?

- अनुच्छेद-39क (समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 43 - क (उद्योग के प्रबन्धन में कर्मकारों का भाग लेना), अनुच्छेद 48 - क (पर्यावारण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा)

  Article 39A (Equal justice and free legal aid), Article 43-A (Participation of workers in the management of industry), Article 48-A (Protection of environment, forests and wild life)

मूल कर्तव्य

- भारत के संविधान के आरम्भ में नागरिकों के लिए 'मूल कर्त्तव्यों' का उल्लेख नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित 'सरदार स्वर्ण सिंह' समिति की संस्तुति के आधार पर 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। In the beginning, the Constitution of India did not mention the 'fundamental duties' for citizens. It was added by the 42nd Constitutional Amendment 1976 on the basis of the recommendation of the 'Sardar Swaran Singh' Committee formed by the Congress in 1976.

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

- Part (भाग) - IV (A), Art. 51 (A)
- Add on / जोड़ा गया ⇒ 42 CA 1976
- PM (प्रधानमंत्री) ⇒ इंदिरा गांधी।
- Taken from Russia (रूस से लिया गया है।)

⇒ स्वर्ण सिंह समिति (committee) ⇒ गठन (formed) ⇒ 26 Feb. 1976
- अध्यक्ष (chairman) ⇒ स्वर्ण सिंह

⇒ कुल सदस्य (Total members) ⇒ 12

⇒ रिपोर्ट ⇒ ① 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ना चाहिए।

↳ सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें CA 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा।

② कर अदायगी (Tax Pay) ⇒ मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ना चाहिए।

↳ नहीं, Reject (अस्वीकार)

वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या ⇒ 11 ⇒ 86वां CA 2002 से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।

In Present No. of Fundamental Duties

⇒ 6-14 वर्ष बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व माता-पिता का होगा।

- 'संविधान में एक नया भाग 4- क (अनुच्छेद - 51 - क) जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्त्तव्यों का समावेश किया गया था। A new Part 4-A (Article 51-A) was added to the Constitution containing a total of 10 fundamental duties for the citizens.

- स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल आठ मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। जिसमें नागरिकों द्वारा कर अदायगी का मूल कर्तव्य भी शामिल था Swaran Singh Committee had suggested adding a total of eight fundamental duties in the constitution. This included the fundamental duty of paying taxes by the citizens.

- वर्तमान में अनुच्छेद- 51 क के अन्तर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। At present the total number of fundamental duties under Article 51A is 11.

- 11 वाँ मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क (ट) के तहत, (86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया है। The 11th fundamental duty, under Article 51A (t), was added by the 86th Constitutional Amendment (2002).

- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का अध्ययन करने के लिए 'सरदार स्वर्ण सिंह' की अध्यक्षता में 26 फरवरी 1976 में एक आयोग का गठन किया, जिसमें कुल 12 सदस्य थे जो अधोलिखित हैं: Prime Minister Indira Gandhi constituted a commission on 26 February 1976 under the chairmanship of 'Sardar Swarn Singh' to study the Constitution during the national emergency, which had a total of 12 members which are as follows:

1. सरदार स्वर्ण सिंह (अध्यक्ष)
2. ए. आर. अंतुले (सदस्य)
3. एस. एस. राय (सदस्य)
4. रजनी पटेल
5. एच. आर. गोखले
6. वी. ए. सैय्यद मुहम्मद
7. वी. एन. गाडगिल
8. सी. एम. स्टीफन
9. डी. पी. सिंह
10. दिनेश गोस्वामी
11. वसंत साठे
12. बी. एन. बनर्जी

- भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गयी है। The system of fundamental duties in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of the former Soviet Union.

- अनुच्छेद-51क, के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह - According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India -
- संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;

(1) abide by the Constitution and respect its ideals, institutions, the National Flag and the National Anthem;

संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर।

(२) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(२) Cherish and follow the high ideals which inspired our national movement for freedom;

आदर

(3) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

To protect and preserve the sovereignty, unity and integrity of India.

संप्रभुता
रक्षा ना
अखण्डता

९ देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

9 to defend the country and render national service when called upon to do so;

(ड.) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेद-भाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, To promote among all the people of India the spirit of harmony and equal brotherhood transcending all distinctions based on religion, language, region or class and to abandon practices which are derogatory to the dignity of women,

- हमारी सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

  Understand the importance of the glorious tradition of our composite culture and preserve it;

- प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे; Protect and enhance the natural environment, which includes forests, lakes, rivers and wildlife, and be compassionate towards all living creatures;

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे; develop scientific outlook, humanism and the spirit of inquiry and reform;

- (झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे; (अ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई उँचाइयों को छू ले । safeguard public property and abjure violence; (b) strive continuously towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation may constantly rise and touch new heights of achievement.

- (ट) 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता-पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। * (इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।) Parents and guardians of children between the ages of 6 and 14 years shall provide them with opportunities for education. * (This duty was added by section 4 of the 86th Constitutional Act, 2002.)